मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१६ है.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में अनुक्रमांक २० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"२१.	जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय	जी.एच.आर. सन्स एज्यूकेशनल एंड मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन, 345, श्रद्धा हाउस, किंग्सवे, नागपुर	कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) की धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी	जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, मउजा ग्राम धोधाबोरगांव, ग्राम साईखेड़ा, तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२२.	डी. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर.	डेली कालेज सोसाइटी १, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	डी. सी. विश्वविद्यालय 1, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२३.	सिम्बायोसिस यूनीवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइन्सेज, इन्दौर	सिम्बायोसिस फाउन्डेशन, नई दिल्ली	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (१८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	सिम्बायोसिस यूनीवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइन्सेज, बड़ा बानगड्डा, तहसील हातोद, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश".

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक २ सन् २०१६) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालय, अर्थात्—जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, जिला छिन्दवाड़ा और डी. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर तथा सिम्बायोसिस यूनीवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइन्सेज, इन्दौर स्थापित करने की अनुशंसा की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकाय को एक आशय पत्र जारी कर दिया है. उक्त अधिनियम की धारा ९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो जाने पर उक्त अधिनियम की अनुसूची में उनके नाम और विशिष्टियों को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक २ सन् २०१६) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम, बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ जुलाई, २०१६

जयभान सिंह पवैया
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में दिये गये प्रावधान अनुसार विनियामक आयोग निजी संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन करता है. आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार आशय पत्र जारी करती है. अधिनियम, २००७ की धारा ९ में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा निरीक्षण आदि की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त राज्य शासन की रिपोर्ट भेजी जाती है. उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त समाधान होने पर निजी विश्वविद्यालय का नाम एवं विवरण अधिनियम की अनुसूची में संशोधन कर जोड़ा जाता है.

नया अकादमिक सत्र जुलाई २०१६ से प्रारंभ हो रहा है और विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था. अत: उपरोक्तानुसार तीन निजी विश्वविद्यालय जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, ग्राम सांईखेड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, डी. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर एवं सिम्बायसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइन्सेज, इन्दौर स्थापित करने हेतु मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक २ सन् २०१६) प्रख्यापित किया गया था.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.